न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 57/2023

यूको बैंक शाखा कार्यालय दौसा जिला दौसा राजस्थान प्राधिकृत अधिकारी श्री अरूण शर्मा

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोहन लाल साहू पुत्र श्री हरिनारायण साहू
2. श्रीमती पूजा देवी साहू पत्नि श्री मोहन लाल साहू
   पता–274 ए/274 ए, जय सियाराम कॉलोनी, बाबाजी की छावनी, दौसा जिला दौसा राज0

.....अप्रार्थी/ऋणी

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002

उपस्थित : श्रीमती अंजुम, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 28.7.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी यूको बैंक शाखा कार्यालय दौसा ने अप्रार्थी/ऋणी श्री मोहन लाल साहू पुत्र श्री हरिनारायण साहू व श्रीमती पूजा देवी साहू पत्नि श्री मोहन लाल साहू निवासी जय सियाराम कॉलोनी, बाबाजी की छावनी, दौसा जिला दौसा राजस्थान को 20,00,000/–(रूपये बीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी यूको बैंक शाखा कार्यालय दौसा को सुना गया। हमने प्रार्थी यूको बैंक शाखा कार्यालय दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी यूको बैंक शाखा कार्यालय दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई श्री मोहन लाल साहू के नाम प्लॉट नंबर 274 ए/ 267 ए बाबाजी की छावनी, दौसा जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 136.66 वर्गगज है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसकी सीमाएं पूर्व में प्लॉट नंबर 273 व 268, पश्चिम में प्लॉट नंबर 274 बी/267 बी, उत्तर में सडक व दक्षिण में सडक स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी यूको बैंक शाखा कार्यालय दौसा को किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा